झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–778 वर्ष 2017

1. बिष्णु कुमार सिंह
2. चंद्र ज्योति देवी .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. . आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग।
3. उपसमाहर्ता, गिरिडीह।
4. डी0सी0एल0आर0, गिरिडीह।
5. अंचलाधिकारी, गिरिडीह।
6. शकुंतला देवी
7. गीता कुमारी उर्फ गीता कुमार .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री पंकज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री नीतीश कृष्ण, एस0सी0 (एल एंड सी)–II के ए0सी0

07 / दिनांक:05 नवंबर, 2019

याचिकाकर्ताओं ने गिरिडीह म्यूटेशन रिवीजन नंबर 19 / 2016 में पारित दिनां 07.03.2014 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा और जिसके तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही को बंद करके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पक्षगण उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 12.06.2009 के आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय को समझाने की कोशिश की है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने दिनांक 23.06.2009 को उचित आदेश पारित करने के लिए मामला पोस्ट किया था, लेकिन चूंकि आदेश पारित नहीं किया जा सका, इसलिए कार्यवाही को नए सिरे से सुनवाई के लिए पुनर्जीवित किया गया था और इस कारण से याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं क्योंकि वे इस धारणा में थे कि आदेश 12.06.2009 के आदेश के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

उन्होनें आग यह समझाने की कोशिश की है कि यद्यपि वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से तीन साल की अवधि के बाद दिनांक 07.03.2014 के आदेश को चुनौती दी गई है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से परे था क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी।

श्री नीतीश कृष्ण, झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कार्यवाही की पोषणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है जो म्यूटेशन रिवीजन नंबर 19/2006 का विषय है, जो उनके अनुसार दूसरे संशोधन के माध्यम से था और बिहार किरायेदार की होल्डिंग (रिकॉर्ड का रखरखाव) अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अनुसार दूसरे पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि अधिनियम, 1973 की धारा 17 के तहत उसे प्रदान किया गया है, को निरस्त कर दिया गया है।

दूसरे संशोधन से संबंधित तथ्यातमक पहलू को याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

यह न्यायालय पूर्वोक्त निवेदन पर विचार करने और स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि म्यूटेशन रिवीजन नंबर 19/2006 दूसरे संशोधन के माध्यम से है, जो कि अधिनियम, 1973 की धारा 17 के प्रावधान को निरस्त करने के बाद स्वीकार्य रूप से पोषणीय नहीं है, इसलिए जब उपरोक्त म्यूटेशन रिवीजन नंबर 19/2006 से संबंधित कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं है, तो यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश पारित नहीं करना उचित समझता है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

लंबित अंतवर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)